

(32)

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)  
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/566

दिनांक :- 16.01.2026

## आदेश

सां. आ. 146/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (1) में मतदाता को मतपत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विहित है:-

" 35. Procedure for Issue of ballot paper to a voter .- (1) Every ballot paper before it is issued to a voter and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the State Election Commission may direct and every ballot paper before it is issued, shall be signed in full on its back by the presiding officer;"

उक्त नियम 35(1) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि मतदाता को जारी किये जाने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र और उससे सम्बद्ध प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मोहर से स्टाम्पित किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र और उससे सम्बद्ध प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे अर्थात् एक वर्गाकार आयतन के अन्दर एक भिन्न के रूप में ऊपर उस नगरपालिका का वार्ड, जिसके अन्दर उस मतदान केन्द्र का निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, का क्रम संख्यांक और नीचे उस मतदान केन्द्र, जो कि राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 27 के अधीन मतदान केन्द्र की प्रकाशित सूची में सम्मिलित है, का क्रम संख्यांक अंकित रहेगा, को रबर स्टाम्पित एवं पूर्ण हस्ताक्षरित किया जायेगा।

भवदीय

16/1/26  
(राजेश वर्मा)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/567-571

दिनांक :- 16.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

12.01.2026  
(अम्बालाल मीणा)  
उप सचिव